

राजस्थान-सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक :प.11(4)साप्र /5 /92पार्ट

जयपुर, दिनांक 20.9.2012

आज्ञा

राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस एवं राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में प्रवास करने वाले सभी गणमान्य /राज्य अतिथियों के चाय, नाश्ता एवं भोजनादि की व्यवस्था हेतु निर्धारित कंजम्पशन स्केल को संशोधित कर वर्तमान व्यवस्था से उत्तम स्तर की सेवाएँ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

पूर्व में इस हेतु प्रसारित सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नीचे दिये गये विवरणानुसार संशोधित स्केल निर्धारित किये जाते हैं। भविष्य में अतिथियों को उक्त स्केल एवं निर्धारित मैन्यू के आधार पर सुरुचि पूर्ण भोजन जल पान की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावेंगी। उक्त सभी स्थानों पर यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है :-

सामान्य व्यवस्थाएँ (चाय, कॉफी)

क्र.सं.	मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग की वस्तु	मात्रा (संख्या/वजन)
1	सिंगल ट्रे चाय/कॉफी	2 कप	चायपत्ती/कॉफी	8 ग्राम चाय या 5 ग्राम कॉफी
2			दूध	100 ग्राम कॉफी हेतु या चाय हेतु 80 ग्राम
3			चीनी	50 ग्राम (चाय/कॉफी)

सामान्य अतिथिगण हेतु नाश्ता

क्र.सं.	नाश्ता मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग की वस्तु	मात्रा (संख्या/वजन)
1	कटलेट/अन्डे का आइटम	1 व्यक्ति	2 कटलेट या 2 अन्डे का आइटम	150 ग्राम सब्जी या 2 अन्डे
2	टोस्ट		टोस्ट	2 पीस
3	कॉर्नफ्लैक्स/कैलोग्स		कॉर्नफ्लैक्स/कैलोग्स	30 ग्राम
4	पोहा		पोहा	60 ग्राम
5	चाय/कॉफी		चायपत्ती/कॉफी	8 ग्राम चाय या 5 ग्राम कॉफी
6	टमाटो सॉस/चटनी		टमाटो सॉस	30 ग्राम
7			दूध	300 ग्राम (चाय, कॉफी सहित)
8			चीनी	50 ग्राम (चाय/कॉफी)
9			मक्खन	15 ग्राम
10			तेल रिफाईंड	30 ग्राम

राजकीय अतिथिगण हेतु नाश्ता

क्र.सं.	नाश्ता मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग की वस्तु	मात्रा (संख्या/वजन)
1	ट्रेट्रापेक ज्यूस	1 व्यक्ति	ट्रेट्रापेक ज्यूस	250 ग्राम
2	कॉर्नफ्लैक्स/कैलोग्स		कॉर्नफ्लैक्स/कैलोग्स	30 ग्राम
3	पोहा मय धनियां चटनी/टमाटो सॉस		पोहा मय धनियां चटनी /टमाटो सॉस	100 ग्राम
4	मिक्स फ्रूट प्लेट		मिक्स फ्रूट	250 ग्राम
5	टोस्ट		टोस्ट	2 पीस
6	कटलेट/अंडे		कटलेट 2 पीस या 2 अन्डे का आइटम	150 ग्राम सब्जी या 2 अन्डे
7	चाय/कॉफी		चाय पत्ती या कॉफी	8 ग्राम चाय या 5 ग्राम कॉफी
8	मिनरल वाटर		मिनरल वाटर	1 बोतल
9			चीनी	50 ग्राम
10			तेल रिफाईंड	30 ग्राम
11			दूध	300 ग्राम (चाय, कॉफी सहित)
12			मक्खन	15 ग्राम

सामान्य अतिथिगण हेतु भोजन (लंच/डीनर)

क्र.सं.	मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग वस्तु का नाम	मात्रा (संख्या/वजन)
1	हरी सब्जी	एक	सब्जी	250 ग्राम दो सब्जी
2	तरीदार सब्जी	एक	तेल रिफाईंड	60 ग्राम
3	दाल	एक	दाल	60 ग्राम
4	दही		दही	125 ग्राम
5	सलाद		सलाद एवं ग्रेवी	150ग्राम(प्याज-टमाटर आदि)
6	चावल		चावल	50 ग्राम
7	पापड़		पापड़	1 नग
8	आचार		आचार	15 ग्राम
9	चपाती		आटा	200 ग्राम
10	मिठाई/पुडिंग		मिठाई/पुडिंग	75 ग्राम/200 ग्राम

राजकीय अतिथिगण हेतु भोजन वेजिटेरियन (लंच/डीनर)

क्र.सं.	मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग वस्तु का नाम	मात्रा (संख्या/वजन)
1	सूप (वेज)	1 कप	सब्जी -टमाटर	150 ग्राम
2	पनीर/मलाई कोफ्ता		पनीर/मावा	125 ग्राम
3	हरी सब्जी	एक	सब्जी	250 ग्राम दो सब्जी
4	तरीदार सब्जी	एक	तेल रिफाईंड	60 ग्राम
5	दाल	एक	दाल	60 ग्राम
6	चावल/पुलाव	---	चावल	50 ग्राम
7	दही/रायता		दही	125 ग्राम
8	ग्रीन मिक्स सलाद		मिक्स सलाद एवं ग्रेवी	150 ग्राम
9	पापड़		पापड़ (लिज्जत/बिकाजी)	1 नग
10	आचार मिक्स		आचार	15 ग्राम
11	चपाती/पराठे		आटा	200 ग्राम
12	मिनरल वाटर		मिनरल वाटर	1 बोतल
13	मिठाई/पुडिंग		मिठाई/पुडिंग	75 ग्राम/200 ग्राम

राजकीय अतिथिगण हेतु भोजन नॉनवेज (लंच/डीनर)

क्र.सं.	मैन्यू आइटम	निर्धारित	उपयोग वस्तु का नाम	मात्रा (संख्या/वजन)
1	सूप (चिकन/मटन)	1 कप	सब्जी, चिकन/मटन	150 ग्राम
2	मीट/चिकन/फिश		मीट/चिकन/फिश	250 ग्राम
3	हरी सब्जी	एक	सब्जी	250 ग्राम दो सब्जी
4	तरीदार सब्जी	एक	तेल रिफाईंड	60 ग्राम
5	दाल	एक	दाल	60 ग्राम
6	चावल/पुलाव	---	चावल	50 ग्राम
7	दही/रायता		दही	125 ग्राम
8	ग्रीन मिक्स सलाद		मिक्स सलाद एवं ग्रेवी	100+50 ग्राम
9	पापड़		पापड़ (लिज्जत/बिकाजी)	1 नग
10	आचार मिक्स		आचार	15 ग्राम
11	चपाती/पराठे		आटा	200 ग्राम
12	मिठाई/पुडिंग		मिठाई/पुडिंग	75 ग्राम/200 ग्राम
13	मिनरल वाटर		मिनरल वाटर	1 बोतल

राज्य अतिथि हेतु निर्धारित कक्ष में आगमन से पूर्व निम्न पेय पदार्थ आदि अनिवार्य रूप से लगाई जानी प्रस्तावित है:-

1. कोल्ड ड्रिंक - 2 नग
2. मिनरल वाटर - 2 नग
3. फ्रुट बास्केट - 500 ग्राम (2-3 तरह के फल क्लीन फ़िल्म से ढके हुए)
4. मिक्स बिस्कुट क्वार्टर प्लेट - 200 ग्राम(मीठे-नमकीन बिस्किट क्लीनफ़िल्म से ढके हुए)
5. ट्रायलैट्री बास्केट : छोटा साईज पाउच (बॉथ साबुन,तेल, टूथपेस्ट, शेम्पो, कंघी, टूथ एवं ब्रश)

विश्राम भवनों में सामान्य व राज्य अतिथिगण के ब्रेकफास्ट/लंच/डिनर के Veg. एवं Non Veg. Menu में संशोधन की उक्त स्वीकृति मुख्यमंत्री महोदय एवं वित्त विभाग के आई.डी.161201221 दिनांक 11.9.2012 पर किये गये अनुमोदन के क्रम में जारी की जाती है ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव(वीपी)मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई डी क्रमांक 12001739 दिनांक 19.4.2012 के क्रम में ।
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को उनके उपरोक्त संदर्भ में ।
3. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल,सा0प्र0(ग्रुप-1) विभाग ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
5. व0लेखाधिकारी, सा0प्र0 (ग्रुप-4)विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त मैनु हेतु प्रतिवर्ष आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार राशि 43.00 लाख (लगभग) की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है (नोटशीट की प्रति संलग्न है)।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान ।
8. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली ।
9. रक्षित पत्रावली ।

(राजीव जैन)

शासन उप सचिव